The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 7 | July 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF(2026): 5.6
Website: www.theacademic.in

टिहरी गढ़वाल में ग्रामीण निर्धनता, बाल श्रम और लोक नीति का अंतर्संबंध

शोधार्थी - प्रदीप सिंह सजवाण
राजनीति विज्ञान , विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
शोध निर्देशक - डॉ. ओम प्रकाश सिंह
विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.22097180

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Received: 23-06-2026

Accepted: 15-07-2026

Published: 21-08-2026

Keywords:

बाल श्रम, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ग्रामीण निर्धनता, टिहरी गढ़वाल, पर्वतीय पलायन, लोक नीति

ABSTRACT

बाल श्रम को प्रायः एक पृथक विधिक समस्या के रूप में देखा जाता है, जबकि व्यवहार में यह ग्रामीण निर्धनता और शैक्षिक वंचना से निर्मित एक व्यापक संरचनात्मक चक्र की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है। यह प्रवृत्ति उन पर्वतीय जनपदों में और भी जटिल हो जाती है जहाँ भौगोलिक दुर्गमता, सीमांत कृषि-अर्थव्यवस्था तथा उच्च पुरुष-पलायन एक साथ विद्यमान हों। उत्तराखण्ड का टिहरी गढ़वाल जनपद, जो टिहरी बाँध परियोजना से प्रत्यक्षतः प्रभावित रहा है और जहाँ 88 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आज भी ग्रामीण परिवेश में निवास करती है, इस चक्र की पड़ताल हेतु एक सारगर्भित किंतु शोध-साहित्य में अपेक्षाकृत कम अन्वेषित क्षेत्र है। प्रस्तुत आलेख भारतीय संविधान, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा संबद्ध राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर बाल श्रम, शिक्षा-वंचना और ग्रामीण निर्धनता के अंतर्संबंध का विधिक-विश्लेषणात्मक परीक्षण करता है। लेखन जनगणना, ASER तथा प्रकाशित प्रयोगसिद्ध अध्ययनों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और यह स्थापित करता है कि टिहरी गढ़वाल में यह चक्र औपचारिक बाल-श्रम आँकड़ों की तुलना में कहीं अधिक 'अदृश्य' रूपों — जैसे पलायन-प्रेरित घरेलू व कृषि-दायित्वों — में अभिव्यक्त होता है। आलेख भूगोल-संवेदी नीति-हस्तक्षेप तथा

Disclaimer: The opinions, interpretations, conclusions, recommendations, analyses, and statements expressed in this research article are solely those of the author(s) and do not reflect the views, policies, or positions of the Publisher, Chief Editor, Editors, Editorial Board, Reviewers, or their affiliated institutions. The author(s) are solely responsible for ensuring the originality, authenticity, and integrity of the manuscript and for ensuring that it is free from plagiarism, AI-generated content, copyright infringement, data falsification, and any other form of academic misconduct.

जनपद-स्तरीय अनुभवजन्य शोध की अनुशंसा के साथ समाप्त होता है।

प्रस्तावना

किसी समाज की सभ्यता का मापदंड इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने बालकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जब आर्थिक विवशता किसी बालक को कक्षा के स्थान पर खेत, ढाबे या घर की चौखट पर पहुँचा देती है, तब यह घटना केवल एक परिवार की व्यक्तिगत विवशता नहीं रह जाती, बल्कि राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं की परीक्षा बन जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक को परिसंकटमय नियोजन से संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 21-क शिक्षा को एक न्यायालय-प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। इन दोनों प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि विधायिका का आशय बालक के लिए 'कार्यस्थल नहीं, कक्षा' सुनिश्चित करना रहा है। तथापि अनुच्छेद 39(ङ)-(च) एवं अनुच्छेद 45 के नीति-निर्देशक स्वरूप के कारण इन उद्देश्यों की प्राप्ति राज्य की प्रशासनिक इच्छाशक्ति तथा संसाधन-आवंटन पर निर्भर करती रही है।

उत्तराखण्ड की भौगोलिक बनावट — जहाँ बसाहटें पहाड़ों की ढलानों पर बिखरी हैं और कृषि-योग्य भूमि छोटे, असंबद्ध टुकड़ों में विभाजित है — बाल श्रम के मानक शहरी या मैदानी मॉडल को सीधे लागू करना कठिन बना देती है। टिहरी गढ़वाल जनपद इस जटिलता का प्रतिनिधि उदाहरण है: यहाँ की लगभग नौ-दसवीं जनसंख्या ग्रामीण है (भारत की जनगणना, 2011), राज्य के भीतर सबसे अधिक विस्थापन-प्रभावित जनपदों में से एक टिहरी बाँध जलाशय के कारण रहा है, और पुरुष सदस्यों का रोज़गार-प्रेरित पलायन घरेलू अर्थव्यवस्था की संरचना को निरंतर बदलता रहा है। इन परिस्थितियों में बालकों की श्रम-सहभागिता का स्वरूप औद्योगिक बाल श्रम से भिन्न होकर कृषि, पशुपालन एवं घरेलू कार्यों तक विस्तारित हो जाता है — एक ऐसा क्षेत्र जो विधिक दृष्टि से धूसर क्षेत्र बना रहता है।

इस आलेख का केंद्रीय तर्क यह है कि बाल श्रम, शिक्षा से वंचना और ग्रामीण निर्धनता को स्वतंत्र चरों के रूप में नहीं, अपितु एक स्वपोषी चक्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक तत्व शेष दो को पुष्ट करता है। यह समझ नीति-निर्माताओं तथा विधि-प्रवर्तन एजेंसियों दोनों के लिए हस्तक्षेप-बिंदु की पहचान में सहायक हो सकती है।

साहित्य समीक्षा

विकास-अर्थशास्त्र के साहित्य में निर्धनता को बाल श्रम के सर्वाधिक सुसंगत निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। बसु (1999) ने अपने प्रभावशाली विवेचन में यह प्रतिपादित किया कि निर्धनता, अल्प शैक्षणिक उपलब्धि तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अभ्यास मिलकर बाल श्रम की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं, तथा आजीविका स्वयंसिद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार परिवार तभी बालकों को श्रम से हटाते हैं जब उनकी आय एक न्यूनतम

स्तर को पार कर जाती है। बंदारा एवं अन्य (2014) के पैनल-आधारित निष्कर्ष दर्शाते हैं कि कृषि-आय में आकस्मिक गिरावट सीधे बालकों के श्रम-घंटों में वृद्धि तथा विद्यालयी उपस्थिति में कमी से सहसंबंधित है — एक निष्कर्ष जो वर्षा-निर्भर पर्वतीय कृषि की अनिश्चितता को देखते हुए टिहरी गढ़वाल के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है।

उत्तराखण्ड (तत्कालीन उत्तरांचल) के संदर्भ में सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रासंगिकता बसु, दास एवं दत्ता (2010) के प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन की है, जिसमें उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश के आँकड़ों का उपयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया गया कि पारिवारिक भूमि-स्वामित्व एवं बाल श्रम के मध्य संबंध रैखिक नहीं, अपितु 'उल्टे यू' आकार का है — अर्थात अत्यंत निर्धन, भूमिहीन परिवारों की तुलना में लघु व सीमांत भूमिधारक परिवारों में बाल श्रम की तीव्रता अधिक पाई गई, क्योंकि इन परिवारों के पास श्रम किराए पर लेने के साधन नहीं होते और स्वयं के बालकों का श्रम ही एकमात्र विकल्प रह जाता है (बसु एवं अन्य, 2010, भूषण एवं अन्य, 2022 में उद्धृत)। यह निष्कर्ष टिहरी गढ़वाल जैसे जनपद के लिए विशेष रूप से सूचक है, जहाँ भूमि-जोत औसतन अत्यंत लघु आकार की होती है।

लैंगिक आयाम पर देव (2004) का विश्लेषण, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों पर आधारित है, यह इंगित करता है कि बालिकाओं की श्रम-बल भागीदारी की प्रकृति बालकों से भिन्न होती है — बालिकाएँ अधिकांशतः अवैतनिक घरेलू व देखभाल-कार्यों में संलग्न होती हैं, जो औपचारिक श्रम-सांख्यिकी में सामान्यतः अदृश्य रह जाता है। यह प्रवृत्ति यूनिसेफ के निष्कर्षों से भी संपुष्ट होती है, जिसके अनुसार सीमित पारिवारिक संसाधनों की स्थिति में बालिकाओं के विद्यालय-त्याग की संभावना बालकों की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। शिक्षा-प्राप्ति संबंधी हाल के आँकड़ों में ASER केंद्र (2025) का प्रतिवेदन बताता है कि उत्तराखण्ड उन गिने-चुने राज्यों में सम्मिलित है जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में कक्षा तीन के बालकों की मूल पठन-क्षमता में दस प्रतिशत-बिंदु से अधिक का सुधार दर्ज किया — किंतु यह राज्य-स्तरीय औसत जनपदों के बीच विद्यमान आंतरिक असमानता को अस्पष्ट कर सकता है, जिसे उजागर करने हेतु उप-राज्य स्तरीय विश्लेषण आवश्यक है।

समस्या का प्रतिपादन

विद्यमान शोध-साहित्य में एक उल्लेखनीय रिक्तता यह है कि बाल श्रम, शिक्षा-वंचना तथा निर्धनता का अध्ययन प्रायः राष्ट्रीय अथवा राज्य-स्तर पर समग्र आँकड़ों के आधार पर किया जाता है, जबकि टिहरी गढ़वाल जैसे विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक चरित्र वाले जनपदों हेतु विखंडित , विश्वसनीय एवं सुगम्य आँकड़े दुर्लभ हैं। यह अंतराल तीन स्तरों पर विद्यमान है: प्रथम, आधिकारिक बाल-श्रम आँकड़े प्रायः औपचारिक, दृश्यमान नियोजन तक सीमित रहते हैं और घरेलू व कृषि-कार्यों में संलग्न बालकों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाते; द्वितीय, विधि-प्रवर्तन तंत्र — श्रम निरीक्षक, बाल कल्याण समितियाँ — की भौतिक पहुँच पर्वतीय दुर्गमता के कारण सीमित रहती है; तृतीय, नीति-निर्माण प्रायः 'एक आकार सबके लिए उपयुक्त प्रतिमान पर आधारित रहता है, जो पर्वतीय राज्यों की विशिष्ट

परिस्थितियों — जैसे पलायन-प्रेरित पारिवारिक पुनर्संरचना — को समुचित रूप से संबोधित नहीं करता। इन तीनों अंतरालों का संचयी प्रभाव यह है कि टिहरी गढ़वाल में बाल श्रम की वास्तविक प्रकृति एवं सीमा साक्ष्य-आधारित रूप से अल्प-दस्तावेजीकृत बनी हुई है।

अध्ययन के उद्देश्य

(i) टिहरी गढ़वाल जनपद के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक संदर्भ में बाल श्रम, शिक्षा-वंचना तथा ग्रामीण निर्धनता के मध्य कारण-कार्य संबंध का विधिक-विश्लेषणात्मक परीक्षण करना।

(ii) बाल अधिकार-संरक्षण हेतु विद्यमान संवैधानिक, वैधानिक एवं नीतिगत ढाँचे की पर्वतीय क्षेत्रों की दृष्टि से पर्याप्तता का मूल्यांकन करना।

(iii) पलायन, टिहरी बाँध-प्रेरित विस्थापन तथा सीमांत कृषि-अर्थव्यवस्था जैसे जनपद-विशिष्ट कारकों के बाल श्रम पर प्रभाव को चिन्हित करना।

(iv) साक्ष्य-आधारित, भूगोल-संवेदी नीतिगत हस्तक्षेपों की अनुशंसा प्रस्तुत करना।

शोध प्रश्न

(i) टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीण निर्धनता, विशेषतः सीमांत भूमि-जोत की संरचना, बाल श्रम की प्रवृत्ति को किस प्रकार निर्धारित करती है?

(ii) विद्यमान वैधानिक उपबंध — जो मूलतः औद्योगिक व शहरी बाल श्रम को लक्षित करते प्रतीत होते हैं — पर्वतीय, कृषि-प्रधान परिवेश में उत्पन्न 'अदृश्य' बाल श्रम को किस सीमा तक संबोधित करते हैं?

(iii) पुरुष-पलायन से उत्पन्न पारिवारिक पुनर्संरचना बालिकाओं की शिक्षा एवं श्रम-सहभागिता को किस प्रकार असमान रूप से प्रभावित करती है?

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन प्रकृति में विधिशास्त्रीय , तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक विधिक स्रोतों में भारतीय संविधान, संसदीय अधिनियम (बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986/2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015, POCSO अधिनियम 2012) तथा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ (बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1989, ILO अभिसमय संख्या 138 एवं 182) सम्मिलित हैं। द्वितीयक स्रोतों में भारत की जनगणना (2011), जिला जनगणना पुस्तिका, ASER केंद्र के प्रतिवेदन,

तथा विकास-अर्थशास्त्र संबंधी सम-समीक्षित शोध-पत्रों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। संदर्भ-शैली अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA, 7वाँ संस्करण) के अनुरूप अपनाई गई है। यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि यह अध्ययन टिहरी गढ़वाल जनपद के लिए मौलिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है; अध्ययन का उद्देश्य विद्यमान द्वितीयक साक्ष्यों के आधार पर एक विधिक-विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रस्तुत करना है, जिसका सांख्यिकीय सत्यापन भविष्य के अनुभवजन्य शोध द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

वैधानिक एवं नीतिगत ढाँचा

1 संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु परस्पर-सम्बद्ध उपबंधों का एक समुच्चय प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 21-क (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के माध्यम से क्रियान्वित) छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का न्यायालय-प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के परिसंकटमय नियोजन का पूर्ण निषेध करता है — यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित होने के कारण सीधे न्यायोचित है। अनुच्छेद 39(ङ) एवं (च) राज्य को बालकों के स्वास्थ्य एवं गरिमापूर्ण विकास की रक्षा तथा आर्थिक विवशता के कारण उत्पन्न शोषण से बचाव हेतु नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में बाध्य करते हैं, जबकि अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 51-क(ट) माता-पिता या संरक्षक पर छह से चौदह वर्ष के बालक को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का मौलिक कर्तव्य अधिरोपित करता है।

2 वैधानिक उपबंध

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, जिसमें 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों के किसी भी व्यवसाय में नियोजन का पूर्ण प्रतिषेध करता है, तथापि 'पारिवारिक उद्यम' अथवा 'पारिवारिक व्यवसाय' में विद्यालयी घंटों के पश्चात सहायता करने की छूट को अधिनियम की धारा 3 में सम्मिलित किया गया है — यह अपवाद कृषि-प्रधान, पारिवारिक-श्रम आधारित पर्वतीय अर्थव्यवस्था में विधिक क्रियान्विति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करता है, क्योंकि यह वैध पारिवारिक सहभागिता एवं शोषणकारी बाल श्रम के मध्य की रेखा को धूमिल कर देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य पर बालकों को निकटस्थ विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने का दायित्व अधिरोपित करता है, किंतु 'निकटस्थ' की परिभाषा पर्वतीय भूगोल में समतल क्षेत्रों की तुलना में भिन्न अर्थ रखती है। किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 संकटग्रस्त बालकों हेतु संस्थागत संरक्षण-ढाँचा प्रदान करता है, तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 श्रम-परिवेश में उत्पन्न होने वाले यौन शोषण से बालकों की रक्षा करता है।

3 अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

भारत, बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989 का अभिपुष्टिकर्ता राष्ट्र होने के नाते, बालक के जीवन, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकारों को मान्यता देने हेतु बाध्य है। यद्यपि भारत ने ILO के अभिसमय संख्या 138 (न्यूनतम आयु) एवं संख्या 182 (बाल श्रम के घृणित रूप) का 2017 में अनुसमर्थन किया, तथापि इन अंतरराष्ट्रीय मानकों का घरेलू विधि में पूर्ण एकीकरण — विशेषतः अनौपचारिक, कृषि-आधारित क्षेत्रों में — एक सतत प्रक्रिया बनी हुई है।

टिहरी गढ़वाल जनपद: सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल

भारत की जनगणना (2011) के अनुसार टिहरी गढ़वाल जनपद की कुल जनसंख्या 6,18,931 थी, जिसमें से 88.67 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा मात्र 11.33 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी। जनपद का लिंगानुपात 1,077 (प्रति 1000 पुरुष) दर्ज किया गया — जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है और मुख्यतः पुरुष-पलायन का परिणाम माना जाता है — किंतु इसके विपरीत बाल लिंगानुपात मात्र 897 (प्रति 1000 बालक) रहा, जो बालिका-कल्याण की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। साक्षरता के आँकड़ों में लैंगिक अंतराल विशेष रूप से उल्लेखनीय है: जनपद की समग्र साक्षरता दर लगभग 75 से 76 प्रतिशत के मध्य आँकी गई है, किंतु पुरुष साक्षरता (लगभग 90 प्रतिशत) एवं महिला साक्षरता (लगभग 64 प्रतिशत) के मध्य लगभग 25 प्रतिशत-बिंदु का अंतराल विद्यमान है (भारत की जनगणना, 2011)। जनपद का क्षेत्रफल 3,642 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या घनत्व मात्र 169-170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बसाहटों के व्यापक भौगोलिक बिखराव को दर्शाता है, और अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात 16.50 प्रतिशत है।

श्रम-बल की संरचना भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद में कुल 2,80,442 श्रमिक थे, जिनमें से केवल 1,65,912 (लगभग 59 प्रतिशत) 'मुख्य श्रमिक' (वर्ष में छह माह से अधिक कार्यरत) थे, जबकि शेष 1,14,530 (लगभग 41 प्रतिशत) 'सीमांत श्रमिक' (वर्ष में छह माह से कम कार्यरत) की श्रेणी में आते थे — यह उच्च सीमांत-श्रमिक अनुपात जनपद की आजीविका-संरचना में व्याप्त अनिश्चितता एवं मौसमी प्रकृति का सूचक है, जो निर्धनता की सुभेद्यता (vulnerability) को सीधे प्रभावित करता है। हाल के जिला-स्तरीय आर्थिक आँकड़ों के अनुसार जनपद की श्रम-बल सहभागिता दर (2023-24) 67.32 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय (2021-22) लगभग 1,03,345 रुपये आँकी गई है, जो राज्य के मैदानी एवं शहरीकृत जनपदों की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न स्तर की है। कृषि इस जनपद की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना हुआ है (इंडियास्टेट पब्लिकेशन्स, जिला फैक्टबुक)।

इन आँकड़ों को टिहरी बाँध परियोजना के इतिहास के साथ संयुक्त रूप से देखा जाना चाहिए। बाँध जलाशय के निर्माण के परिणामस्वरूप जनपद के अनेक गाँव पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जलमग्न हुए, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों

का पुनर्वास एवं भूमि-अधिग्रहण हुआ। यद्यपि इस विस्थापन का जनपद-स्तरीय बाल श्रम पर परिमाणात्मक प्रभाव इस अध्ययन के दायरे में सांख्यिकीय रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, तथापि विस्थापन-साहित्य में सुस्थापित सामान्य सिद्धांत — कि भूमि व आजीविका की हानि पारिवारिक आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाती है — इस जनपद के संदर्भ में एक युक्तियुक्त परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसका परीक्षण भविष्य के प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

चक्रीय अंतर्संबंध: एक विश्लेषणात्मक प्रतिमान

उपर्युक्त आँकड़ों एवं साहित्य-समीक्षा के आधार पर बाल श्रम, शिक्षा-वंचना तथा ग्रामीण निर्धनता के मध्य संबंध को तीन परस्पर-गुंथे हुए स्तरों पर समझा जा सकता है। प्रथम स्तर पर, सीमांत भूमि-जोत, उच्च सीमांत-श्रमिक अनुपात तथा मौसमी कृषि-आय की अनिश्चितता — जो टिहरी गढ़वाल के आर्थिक आँकड़ों में स्पष्ट परिलक्षित होती है — परिवारों को न्यूनतम-लागत श्रम-स्रोत के रूप में बालकों की सहभागिता की ओर प्रेरित करती है, विशेषतः वर्षा-निर्भर कृषि-चक्र के व्यस्त मौसमों में। यह प्रवृत्ति बसु एवं अन्य (2010) के 'उल्टे यू' निष्कर्ष से सुसंगत है, जिसके अनुसार अत्यंत निर्धन भूमिहीन परिवारों की तुलना में लघु भूमिधारक परिवार बाल श्रम पर अधिक निर्भर होते हैं।

द्वितीय स्तर पर, कृषि एवं घरेलू कार्यों में नियमित संलग्नता बालकों की विद्यालयी उपस्थिति की नियमितता को क्षति पहुँचाती है, भले ही औपचारिक नामांकन उच्च बना रहे — यह अंतर 'नामांकन' और 'सार्थक उपस्थिति व अधिगम' के मध्य के भेद को रेखांकित करता है, जिसे ASER जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी वर्षों से चिन्हित करते रहे हैं। तृतीय स्तर पर, अनियमित अथवा बाधित शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक वयस्क होने पर निम्न-कौशल, निम्न-आय एवं प्रायः अनौपचारिक व्यवसायों में प्रवेश करने हेतु बाध्य होते हैं, जिससे पारिवारिक निर्धनता अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है — यह चक्र स्वतः पूर्ण (self-completing) हो जाता है जब तक कि किसी बाह्य नीतिगत हस्तक्षेप द्वारा इसे भंग न किया जाए।

इस चक्र में लैंगिक आयाम को पृथक रूप से रेखांकित किया जाना आवश्यक है। जनपद में पुरुष-पलायन की उच्च दर तथा साक्षरता में स्पष्ट लैंगिक अंतराल (लगभग 25 प्रतिशत-बिंदु) संयुक्त रूप से यह संकेत करते हैं कि पलायन-प्रभावित परिवारों में कृषि, पशुपालन एवं घरेलू उत्तरदायित्व असमान रूप से महिलाओं तथा बालिकाओं पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह परिघटना — जिसे इस आलेख में 'अदृश्य बाल श्रम' कहा गया है — औपचारिक बाल-श्रम सांख्यिकी में सामान्यतः परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि यह किसी नियोक्ता-नियोजित संबंध के अंतर्गत नहीं, अपितु पारिवारिक दायित्व के रूप में घटित होती है, और इसी कारण विद्यमान वैधानिक ढाँचे की 'नियोजन' पर केंद्रित परिभाषा इसे प्रभावी रूप से संबोधित करने में असमर्थ रहती है।

लोक नीतियाँ एवं कार्यक्रम: क्रियान्विति की समीक्षा

भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन एवं शिक्षा-सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। समग्र शिक्षा अभियान विद्यालयी अवसंरचना, शिक्षक-प्रशिक्षण एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है; पीएम पोषण योजना बालकों की विद्यालयी उपस्थिति एवं पोषण-स्तर में सुधार कर अप्रत्यक्ष रूप से बालकों को श्रम के स्थान पर विद्यालय में बनाए रखने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक आय-स्रोत उपलब्ध कराकर बाल श्रम की आर्थिक विवशता को परोक्ष रूप से कम करने में सहायक हो सकता है; तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना संकटग्रस्त बालकों हेतु संस्थागत संरक्षण-ढाँचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विशेष रूप से बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं मुख्यधारा शिक्षा में पुनः-समावेशन हेतु कार्यरत है।

तथापि इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल उनके अस्तित्व से नहीं, अपितु जनपद-स्तर पर उनकी वास्तविक क्रियान्विति से किया जाना चाहिए। पर्वतीय जनपदों में विद्यालयों की भौतिक दूरी, मौसमी दुर्गमता (विशेषतः वर्षा एवं शीत ऋतु में), श्रम निरीक्षकों एवं बाल संरक्षण अधिकारियों की सीमित संख्या, तथा विभिन्न विभागों (श्रम, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास) के मध्य समन्वय की कमी जैसी संरचनात्मक बाधाएँ राष्ट्रीय-स्तरीय नीति-डिज़ाइन में प्रायः पर्याप्त रूप से समाहित नहीं की जातीं, जिससे कागज़ पर सुदृढ़ नीतियाँ भूमि-स्तर पर सीमित प्रभावशीलता प्रदर्शित करती हैं।

टिहरी गढ़वाल-विशिष्ट चुनौतियाँ

(i) भौगोलिक दुर्गमता एवं बसाहटों का बिखराव, जो विद्यालयों तक भौतिक पहुँच को सीमित तथा परिवहन-व्यय को उच्च बनाता है (जनपद का जनसंख्या घनत्व मात्र 169-170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है)।

(ii) पलायन-प्रेरित पारिवारिक पुनर्संरचना, जो घरेलू व कृषि-दायित्वों को असमान रूप से महिलाओं व बालिकाओं पर स्थानांतरित करती है — जैसा कि जनपद के उच्च लिंगानुपात (1,077) एवं लैंगिक साक्षरता-अंतराल से परिलक्षित होता है।

(iii) टिहरी बाँध-प्रेरित विस्थापन एवं पुनर्वासित परिवारों में आर्थिक असुरक्षा तथा परंपरागत आजीविका-स्रोतों की हानि।

(iv) उच्च सीमांत-श्रमिक अनुपात (लगभग 41 प्रतिशत), जो आजीविका की मौसमी अनिश्चितता तथा पारिवारिक आय-सुभेद्यता को दर्शाता है।

(v) प्रवर्तन-तंत्र की सीमित क्षमता तथा जनपद-स्तरीय, विकासखंड-वार बाल श्रम एवं विद्यालय-वंचना संबंधी विश्वसनीय आँकड़ों की अनुपलब्धता, जो साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में बाधक है।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

प्रस्तुत विश्लेषण से यह प्रतिपादित होता है कि टिहरी गढ़वाल जैसे पर्वतीय जनपद में बाल श्रम को एक पृथक विधिक उल्लंघन के रूप में नहीं, अपितु सीमांत कृषि-अर्थव्यवस्था, पलायन-प्रेरित पारिवारिक पुनर्संरचना तथा शिक्षा-वंचना से निर्मित एक व्यापक संरचनात्मक चक्र के लक्षण के रूप में समझा जाना चाहिए। विद्यमान संवैधानिक एवं वैधानिक ढाँचा — यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से सुदृढ़ है — मुख्यतः औपचारिक, नियोक्ता-केंद्रित नियोजन-मॉडल पर आधारित होने के कारण पर्वतीय, पारिवारिक-श्रम आधारित परिवेश में उत्पन्न 'अदृश्य बाल श्रम' को समुचित रूप से संबोधित करने में सीमित प्रभावशीलता प्रदर्शित करता है।

तदनुसार निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i) टिहरी गढ़वाल जनपद में विकासखंड-स्तर पर बाल श्रम एवं विद्यालय-वंचना संबंधी नियमित, विश्वसनीय आँकड़ा-संग्रहण तंत्र स्थापित किया जाए, जो कृषि-आधारित एवं घरेलू 'अदृश्य श्रम' को भी सम्मिलित करे।

(ii) दुर्गम एवं दूरस्थ बस्तियों हेतु परिवहन-सहायता, आवासीय विद्यालय अथवा निकटवर्ती छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

(iii) मनरेगा एवं अन्य आजीविका-कार्यक्रमों को पलायन-प्रभावित तथा बाँध-विस्थापित परिवारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँचाया जाए, जिससे बालकों के श्रम पर पारिवारिक निर्भरता घटाई जा सके।

(iv) बालिका-शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए, पलायन-प्रभावित परिवारों में बालिकाओं पर बढ़ते घरेलू भार को कम करने हेतु सामुदायिक बाल-देखभाल केंद्रों की स्थापना पर विचार किया जाए।

(v) जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग एवं शिक्षा विभाग के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करते हुए जनपद-स्तरीय बाल श्रम निगरानी समिति का प्रभावी सक्रियण सुनिश्चित किया जाए।

(vi) इस आलेख में प्रस्तुत विधिक-विश्लेषणात्मक ढाँचे के आधार पर टिहरी गढ़वाल जनपद में घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक अनुभवजन्य अनुसंधान किया जाए, जिससे यहाँ प्रतिपादित परिकल्पनाओं का सांख्यिकीय सत्यापन तथा साक्ष्य-आधारित, जनपद-विशिष्ट नीतिगत अनुशंसाओं का विकास संभव हो सके।

संक्षेप में, बाल श्रम का उन्मूलन एवं बाल अधिकारों का पूर्ण संरक्षण केवल दंडात्मक विधि-प्रवर्तन से नहीं, अपितु ग्रामीण निर्धनता के मूल कारणों के संबोधन, गुणवत्तापूर्ण एवं भौगोलिक रूप से सुगम्य शिक्षा के प्रावधान, तथा पर्वतीय क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं के प्रति संवेदनशील, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के समन्वित प्रयास से ही संभव है।

संदर्भ सूची (References)

भारत का संविधान, अनुच्छेद 21-क, 24, 39(ङ)-(च), 45, 51-क(ट)।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (2016 में यथासंशोधित)।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)।

संयुक्त राष्ट्र. (1989). बाल अधिकार संबंधी अभिसमय।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन. (1973). न्यूनतम आयु अभिसमय (संख्या 138)।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन. (1999). बाल श्रम के घृणित रूप संबंधी अभिसमय (संख्या 182)।

बंदारा, ए., देहेजिया, आर., एवं लाविए-राउज़, एस. (2014). आय एवं गैर-आय आघातों का बाल श्रम पर प्रभाव: तंज़ानिया के पैनल सर्वेक्षण से साक्ष्य। वर्ल्ड डेवलपमेंट, 67, 218-237।

बसु, के. (1999). बाल श्रम: कारण, परिणाम एवं समाधान, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों पर टिप्पणी सहित। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 37(3), 1083-1119।

बसु, के., दास, एस., एवं दत्ता, बी. (2010). बाल श्रम एवं पारिवारिक संपत्ति: उल्टे-यू आकार का सिद्धांत एवं प्रयोगसिद्ध साक्ष्य। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 91(1), 8-14।

भूषण, एस., एवं अन्य (2022). सीमांत कृषक परिवारों में बाल श्रम एवं शिक्षा संबंधी निर्णय: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जनपद से प्रयोगसिद्ध साक्ष्य (arXiv:2209.01330)। arXiv। https://arxiv.org/pdf/2209.01330

देव, एस. एम. (2004). महिला श्रम-सहभागिता एवं बाल श्रम: व्यवसाय-वार विश्लेषण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 39(37), 4181-4187।

भारत सरकार. (2013). भारत की जनगणना 2011: जिला जनगणना पुस्तिका, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। जनगणना निदेशालय, उत्तराखण्ड।

इंडियास्टेट पब्लिकेशन्स. (2024). जिला फैक्टबुक: टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। https://www.indiastatpublications.com/District Uttarakhand/Tehri_Garhwal

प्रथम फाउंडेशन / ASER केंद्र. (2025). वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन (ग्रामीण) 2024।

जिला प्रशासन, टिहरी गढ़वाल. (2024). जिला प्रोफ़ाइल एवं सांख्यिकी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारत सरकार। https://tehrigarhwal.nic.in